भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4523

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

झारखंड में बाढ़ के कारण नदियों के तटबंधों पर मिट्टी का कटाव

4523. श्री नलिन सोरेन:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखण्ड में बाढ़ से होने वाले वार्षिक नदी-तटवर्ती कटाव के प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी वार्षिक बाढ़ के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी बाढ़ को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने झारखंड में बाढ़ और मृदा कटाव की समस्या के समाधान के लिए स्थानीय हितधारकों के साथ परामर्श किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ङ): नदी में कटाव, उसकी गति और उसमें तलछट का जमाव नदी के प्राकृतिक विनियमन कार्य हैं। नदियाँ अपने साथ लाई गई गाद भार और जमा की गई गाद भार के बीच संतुलन बनाए रखती हैं, जिससे नदी की प्रवृत्ति बनी रहती है। बाढ़ मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा है जिसका सामना देश लगभग हर साल अलग-अलग परिमाण में करता है। बाढ़ की घटना को विभिन्न कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें समय और स्थान दोनों में वर्षा में व्यापक भिन्नताएं शामिल हैं, जो सामान्य पैटर्न से बार-बार विचलन करती हैं, नदियों की अपर्याप्त वहन क्षमता, नदी के किनारों का कटाव और नदी तल में गाद जमना, भूस्खलन, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में खराब प्राकृतिक जल निकासी, बर्फ पिघलना और हिमनद झीलों का फटना। बाढ़ से होने वाले नुकसान के वर्षवार आँकड़े संबंधित राज्यों से पुष्टि के बाद केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा संकलित किए जाते हैं। वार्षिक बाढ़ क्षति डेटा (1953 से 2022) पर सीडब्ल्यूसी प्रकाशन https://cwc.gov.in/sites/default/files/report-flood-damage-statistics.pdf पर उपलब्ध है।

बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार बनाई और क्रियान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके और गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

एकीकृत बाढ़ प्रबंधन दृष्टिकोण का उद्देश्य आर्थिक लागत पर बाढ़ से होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों का विवेकपूर्ण मिश्रण अपनाना है।

कटाव-रोधी सहित बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए मंत्रालय ने ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम " (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और इसे 2021 से 2026 की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया। झारखंड राज्य को एफएमपी घटक के तहत इसकी स्थापना के बाद से 22.71 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

सी.डब्ल्यू.सी. बाढ़ प्रबंधन के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में संबंधित राज्य सरकारों को चिन्हित स्थानों पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। सी.डब्ल्यू.सी. उचित जलाशय विनियमन के लिए चिन्हित जलाशयों में अंतर्वाह पूर्वानुमान भी जारी करता है। नेटवर्क की स्थापना राज्य सरकार/परियोजना अधिकारियों के परामर्श से की गई है। झारखंड में कुल 17 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन हैं (2 स्तरीय पूर्वानुमान स्टेशन और 15 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशन)।

*****